अर्द्ध0शा0 पत्र संख्याः- डीजी-परिपत्र 57/2018

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलकमार्ग, लखनऊ।

दिनांक : लखनऊः अक्टूबर 24 2018

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि पेट्रोल/डीजल टैकरों से तेल माफियाओं द्वारा तेल चोरी करने की घटनाओं का प्रकरण प्रकाश में आता रहता है जो कदापि उचित नही है। इस ओर प्रभावी अंकुश लगाना नितान्त आवश्यक है। पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी में लिप्त अपराधियों/माफियाओं का चिन्हांकन एवं उनके विरूद्ध समय रहते प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

आप सहमत होंगे कि सरकारी तेल कम्पनियों के पेट्रोल/डीजल का तेल माफियाओं द्वारा तेल चोरी कर अवैध रूप से वेच कर धन एकत्रित करते हैं जिससे सरकारी तेल कम्पनियों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर इस कृत्य से व्यवसायिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। तेल चोरी के रोकथाम हेतु पूर्व में इस मुख्यालय से पार्श्वांकित परिपत्र आप सभी के अनुपालनार्थ प्रेषित किये गये हैं।

डीजी परिपत्र संख्याः41/2012 दिनांक 13.09.2012
डीजी-आट-246(39)2010 दिनांक 07.08.2014

पेट्रोल/डीजल की चोरी की प्रभावी रोकथाम हेतु आप सभी को अनुपालन किये जाने हेतु निम्नांकित निर्देश निर्गत किये जा रहे हैंः-

- तेल चोरी के जो भी प्रकरण प्रकाश मे आयें उन सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर प्रभावी अन्वेषण किया जाय।
- तेल चोरी में संलिप्त अपराधियों को प्राथमिकता के आधार पर गिरफ्तारी की जाय एवं गुण-दोष के आधार पर अभियोग का शीघ्रता से निस्तारण कराते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये जायं।
- तेल चोरी के संगठित गिरोहों के सदस्यों को तेल चोरी के अपराध में संलिप्तता में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर गैंगेस्टर अधिनियम की समुचित धाराओं में भी प्रभावी कार्यवाही की जाय एवं तेल चोरी से अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत अवैध सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही भी की जाय।
- पूर्व में तेल चोरी करने वाले एवं ऐसे गिरोह जो इस प्रकार के अपराध में संलिप्त रहे हों तो ऐसे अपराधियों की सतत निगरानी रखी जाय।
- सीमावर्ती जनपदों/राज्यों से भी समन्वय स्थापित करते हुए तेल चोरी करने वाले संगठित गिरोहों/माफियाओं का चिन्हांकन करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही की जाय।
- स्थानीय थाने के बीट के आरक्षी/उपनिरीक्षक एवं थाना प्रभारियों का उत्तरदायित्व भी इस दिशा में निर्धारित किया जाना विवेकपूर्ण होगा।
- जिन जनपदों में तेल चोरी के प्रकरण संज्ञान में आते हैं तो सम्बन्धित तेल कम्पनी के अधिकारियों के साथ नोडल अधिकारी मय समुचित पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर जायेंगे तथा घटना का निरीक्षण करने के उपरान्त आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी करावेंगे।
- तेल कम्पनियों तथा स्थानीय पुलिस के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए प्रचलित सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए तेल कम्पनियों की सुरक्षा एजेन्सियों को यथाआवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

- तेल चोरी की घटनाओं को तत्परता से रोकथाम हेतु अपने स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध/क्षेत्राधिकारी, अपराध को बतौर नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाय ताकि उपरोक्त कार्यवाहियों की दिशा में सतत अनुश्रवण करते रहें।
- पेट्रोलियम पदार्थ की सुरक्षा एवं उसकी चोरी को रोकने के दृष्टिगत पूर्व से प्रचलित सुरक्षा प्रणालियों की समीक्षा करते हुये सुरक्षा एजेन्सियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।

उपरोक्त बिन्दु आपके मार्गदर्शन हेतु हैं। आप अपने स्तर से समुचित आंकलन कराकर स्थानीय आवश्यकताओं/भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत इनकी प्रभावी रोकथाम हेतु सम्यक कार्यवाही हेतु अपने निकट पर्यवेक्षण में अपनी अधीनस्थों को विस्तार से अवगत कराकर प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

23/A/18

(ओ0 पी0 सिंह)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उ0प्र0।

Scanned by CamScanner